एक्सीडेंट कर रहे बस चालक, जुर्माना भर रही मनपा

परिवहन अधिकारियों को एग्रीमेंट के प्रावधान भी पता नहीं

-445 बसों का वर्तमान में हो रहा संचालन
-214 ई-बसों का फिलहाल बेडा

नागपुर. सिटी में प्रदुषण कम करने के साथ ही शहरवासियों को अत्याधुनिक और एसी बसों की परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डीजल बसों के बदले 2 वर्षों के भीतर 850 ई-बसें बेडे में शामिल करने की भले ही कवायद हो रही हो, लेकिन इसी बीच इन बसों के संचालन के लिए नियुक्त होनेवाली कम्पनियों की मनमानी पर लगाम कसने के कोई उपाय नहीं हो रहे है. एक ओर जहां आपली बसों का संचालन पूरी तरह से निजी कम्पनियों के हाथों में दिया जा रहा है, दूसरी ओर इस कम्पनी की ओर से नियुक्त ड्राईवर द्वारा एक्सीडेंट किए जाने के बावजूद जुर्माना मनपा को भरना पड़ रहा है. आश्चर्यजनक यह है कि जिस समय कम्पनी के साथ एग्रीमेंट किया गया, उस समय ऐसे जुर्माना को लेकर क्या प्रावधान किए गए, इसकी जानकारी तक परिवहन के किसी अधिकारी के पास नहीं है.

चलो एप कम्पनी अपनी मर्जी से करती है भर्ती

परिवहन विभाग के ही अधिकारियों की माने तो इन बसों का संचालन कर रही कम्पनी चलो एप ही ड्राईवर की नियुक्ति कर रही है. हालांकि बस ड्राईवर के लिए 3 वर्ष बस चालन का अनुभव होने की योग्यता अनिवार्य तो है, लेकिन आपली बस के अधिकांश चालक ट्रक ड्राईवर है. आरटीओ के नियमों के अनुसार बसों को चलाने के लिए ड्राईवर के पास बैच-बिल्ला भी होना चाहिए. किंतु इन ड्राईवर के पास बैच है या नहीं, इसकी भी जानकारी अधिकारियों के पास नहीं है. आलम यह है कि निजी कम्पनी चलो एप द्वारा ही पूरा संचालन देखे जाने का हवाला देकर अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड रहे हैं. जानकारों की माने तो परिवहन विभाग में सर्वाधिक अधिकारी यो तो मनपा से रिटायर होने के बाद सेवाएं दे रहे हैं, या फिर कान्ट्रैक्ट पर नियुक्त किए गए हैं. यहीं कारण है कि मनपा की सम्पत्ति का उचित ध्यान नहीं रखा जा रहा है.

भगवान भरोसे चल रही आपली बस

परिवहन विभाग की बेतरतीब कार्यप्रणाली का आलम यह है कि बस ड्राईवर की रैश ड्राईविंग के चलते इन दिनों कई दुर्घटनाएं हो रही है. मनपा के हो रहे नुकसान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुर्घटना होने के बाद यदि पीडितों की ओर से कोई दुर्घटना दावा किया जाता है तो, इसकी राशि सर्वप्रथम मनपा की ओर से कोर्ट में जमा की जाती है. हाल ही में इस संदर्भ में हुए खुलासे में अधिकारियों का मानना है कि चूंकि बसों की मालिक महानगर पालिका है।

कम्पनियों की जेब भरने में लगे है अधिकारी

-परिवहन विभाग के अधिकारियों के पास क्या काम है, इन दिनों खोज का विषय बना हुआ है. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक ओर जहां बसों का संचालन करने की जिम्मेदारी चलो एप कम्पनी को दी गई है, वहीं बस स्टाप की जिम्मेदारी साइन पोस्ट नामक कम्पनी को दी गई है.
-जिस तरह से कचरा संकलन कम्पनी द्वारा अपना काम ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है, उसी तरह से बस परिवहन का काम भी इन दोनों कम्पनियों के बस में नहीं है. आलम यह है कि साइन पोस्ट कम्पनी को बस स्टाप तैयार करते समय वहां पर विकलांगों के लिए रैम्प तैयार करने को कहा गया था.
-अधिकारियों की माने तो एग्रीमेंट में ही इसका उल्लेख किया गया. अब अगले माह एग्रीमेंट खत्म होने आ रहा है. किंतु एक भी बस स्टाप पर रैम्प तैयार नहीं है. जबकि इसे लेकर हाई कोर्ट की ओर से कड़े आदेश जारी किए जा रहे है.
-एक माह बाद कम्पनी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड लेगी. जबकि मनपा को रैम्प बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च करने होंगे.

200 करोड़ का बोझ ढो रही मनपा

मनपा में न केवल विरोधी पक्ष बल्की सत्ता पक्ष के भी कई पार्षदों का मानना है कि परिवहन विभाग में कई तरह की मनमानी जारी है. परिवहन समिति का ना तो प्रशासन और ना ही बस संचालन और उसकी सेवाओं तथा कम्पनी की कार्यप्रणाली पर है. यहीं कारण है कि जहां बसों के संचालन से निजी कम्पनियां करोड़ों रुपए कमा रही है, वहीं बस संचालन के लिए महानगर पालिका 200 करोड़ का अतिरिक्त बोझ ढो रही है.

SBL ब्लास्ट : दुबई निवासी अतुल गुप्ता को हाई कोर्ट से राहत

बिना ठोस सबूत लुक आउट सर्कुलर जारी करने पर रोक

नागपुर. काटोल के रावलगांव स्थित एसबीएल कम्पनी में हुए ब्लास्ट के मामले में जांच के बाद कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. यहां तक कि गैर कार्यकारी संचालक दुबई निवासी अतुल गुप्ता के खिलाफ लुक आऊउ सर्कुलर जारी किया. जिसे चुनौती देते हुए गुप्ता की ओर से हाई कोर्ट में फौजदारी रिट याचिका दायर की गई. याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश उर्मिला जोशी फालके और न्यायाधीश निवेदिता मेहता की बेंच ने याचिकाकर्ता को राहत प्रदान की. कोर्ट ने आदेश में कहा कि जांच एजेंसियां किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बिना किसी ठोस कारण या गिरफ्तारी से बचने के सबूत के %लुक आउट सर्कुलर% (एलओसी) जारी नहीं कर सकती हैं. जिसे देखते हुए कोर्ट ने दुबई के निवासी अतुल गुप्ता के खिलाफ जारी एलओसी पर रोक लगा दी है.

एफआईआर दर्ज होने के 6 दिन बाद ही एलओसी

एसबीएल कम्पनी विस्फोटकों के निर्माण के कार्य में संलग्न है. 1 मार्च 2026 को इस कंपनी के निदेशकों और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (ब्नहस), 2023 की धारा 105, 125(ड्ड), 125(ड्ड) और 288 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. इस प्रकरण में अतुल गुप्ता को आरोपी नंबर 15 बनाया गया है.

पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के महज 6 दिन बाद ही 7 मार्च 2026 को अतुल गुप्ता के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी कर दिया था. याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अक्षय नाइक ने अदालत को बताया कि अतुल गुप्ता कंपनी के बोर्ड में केवल एक गैर-कार्यकारी नामित निदेशक हैं.

सर्कुलर के कारण भारत आने में असमर्थ

वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत के संज्ञान में लाया कि अतुल गुप्ता दुबई के निवासी हैं और वह जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन इस अनुचित लुक आउट नोटिस की वजह से वह भारत आने में असमर्थ हैं. उन्होंने तर्क दिया कि एलओसी जारी करने के लिए जांच एजेंसी के पास ऐसा कोई सबूत होना चाहिए जो यह साबित करे कि आरोपी जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहा है.

जानबूझकर गिरफ्तारी से भाग रहे व्यक्ति पर होता है लागू

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने एलओसी का बचाव करते हुए कहा कि जांच के लिए याचिकाकर्ता की उपस्थिति आवश्यक है. हालांकि, सरकारी वकील ने अदालत के सामने ईमानदारी से यह स्वीकार किया कि उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह साबित कर सके कि अतुल गुप्ता गिरफ्तारी से बच रहे हैं. इस पर हाई कोर्ट ने शौविक इंद्रजीत चक्रवर्ती बनाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (2024) मामले के ऐतिहासिक फैसले का प्रमुखता से हवाला दिया.

एक नजर में

पिस्तौल के साथ धरा गया युवक

नागपुर. तहसील पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को पिस्तौल और कारतूस के साथ दबोचा. पकड़ा गया आरोपी दही बाजार, इतवारी निवासी इमरान उर्फ टीपू वकील शेख (35) बताया गया. शनिवार की रात पुलिस दस्ता गार्डलाइन परिसर में गश्त कर रहा था. इसी दौरान इमरान संदेहास्पद स्थिति में घूमता दिखाई दिया. संदेह के आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया. तलाशी लेने पर उसके पास 1 पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए. हथियार जब्त कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया. इमरान के खिलाफ और भी आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी मिली है. उसे हथियार किसने और क्यों दिया इसकी जांच चल रही है. इंस्पेक्टर संजय मेंढे, पीएसआई अनिल ठाकुर, मनीष शाहाकार, हेड कांस्टेबल राम, विनोद, पंकज और प्रांजली ने कार्रवाई को अंजाम दिया.

अपराधी 6 महीने के लिए तड़ीपार

नागपुर. हुड़केश्वर थाना क्षेत्र में सक्रिय अपराधी को डीसीपी जोन-4 रश्मिता राव ने 6 महीने के लिए तड़ीपार कर दिया है. जिला बदर किया गया आरोपी संजय गांधी चौक, मानेवाड़ा निवासी गोकुल उर्फ गोलू जगदीश बड़वाइक (24) बताया गया. गोकुल के खिलाफ लूटपाट, मारपीट, डकैती की तैयारी सहित गंभीर मामले दर्ज हैं.

वह लगातार आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय था. प्रतिबंधक कार्रवाई किए जाने के बावजूद उस पर कोई असर नहीं हुआ. हुड़केश्वर पुलिस ने नकेल कसने के लिए उसके खिलाफ तड़ीपारी का प्रस्ताव तैयार किया. डीसीपी राव ने उसे 6 महीने के लिए शहर और ग्रामीण क्षेत्र से तड़ीपार करने के आदेश दिए. उसे रिश्तेदार के यहां यवतमाल में छोड़ा गया है.

सोलर सिस्टम लगाने ग्राम पंचायतों के पास पैसे नहीं

नागपुर, निज संवाददाता. विधान परिषद सदस्य कृपाल तुमाने ने विधान परिषद में यह मुद्दा उठाया कि स्थानीय निकाय संस्थाओं को सोलर सिस्टम लगाने के लिए खुद की हिस्सेदारी देना अनिवार्य किये जाने से रुचि नहीं ली जा रही है. उन्होंने कहा कि अनेक ग्राम पंचायतों की इतनी आय ही नहीं है कि वे निधि की व्यवस्था कर सकें. इसलिए इस प्रकल्प को लेकर उदासीन हैं. उन्होंने मांग की कि नीति में बदलाव किया जाए या स्व-निधि की शर्त शिथिल की जाए. इस पर प्रभारी मंत्री उदय सामंत ने सदन को आश्वस्त किया कि नगरपालिका प्रशासन के संचालक को इस नीति में आवश्यक संशोधन की संभावनाओं पर विचार करने तथा पीपीपी मॉडल के आधार पर इस योजना को लागू किए जाने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित करने के निर्देश दिए जाएंगे.

बिना टेंडर 50 साल के लिए निजी क्लब को दी जमीन

गांधीनगर स्केटिंग रिंग आवंटन में बड़ा फर्जीवाड़ा

नागपुर. गांधीनगर में स्केटिंग रिंग के आवंटन को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है. माहिर पटेल, मनीष वैद्य, अजय शिवनकर सहित गांधीनगर के 12 निवासियों ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की. याचिका में बिना कोई टेंडर जारी किए शिवाजी स्केटिंग क्लब नामक निजी क्लब को 50 साल के लिए स्केटिंग रिंग अवैध रूप से आवंटित करने वाले मनपा अधिकारियों के खिलाफ जांच की जाए करने के आदेश देने का अनुरोध कोर्ट से किया गया. याचिकाकर्ताओं का मानना है कि इस कृत्य से मनपा को भारी आर्थिक

नुकसान हुआ है. याचिकाकर्ताओं के अनुसार मनपा के शिक्षा अधिकारी ने बिना किसी अधिकार के 15 नवंबर 1995 को कृष्णा बैसारे द्वारा संचालित %शिवाजी स्केटिंग क्लब% को 50 वर्षों के लिए यह स्केटिंग रिंग आवंटित कर दिया था. यह आवंटन एमएमसी अधिनियम 1949 की धारा 79 का स्पष्ट उल्लंघन है.

मनपा के पास रिकार्ड नहीं

इस मामले में चौंकाने वाला तथ्य यह है कि कृष्णा बैसारे ने एक पिछली याचिका के दौरान जो आवंटन पत्र प्रस्तुत किया था, उसकी प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह है. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि मनपा के पास ऐसे किसी भी पत्र का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है. एक निजी संस्था द्वारा खुली जगह और खेल के मैदान के इस व्यावसायिक उपयोग से मनपा को बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है. याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे अधि. तुषार मंडलेकर ने यह भी बताया कि जिस लेआउट भूमि पर यह स्केटिंग रिंग है, उसका मालिकाना हक एनआईटी के पास है. इसके बावजूद मनपा ने इस आवंटन से पहले न तो एनआईटी से और न ही लेआउट के निवासियों से कोई सहमति प्राप्त की.

अधिकारियों की मिलीभगत

स्थानीय निवासियों ने स्केटिंग रिंग के इस अवैध संचालन को लेकर मनपा आयुक्त डॉ. विपिन इटनकर से भी शिकायत की थी, लेकिन संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. नागरिकों ने मनपा अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने जानबूझकर गांधीनगर मैदान पर इस निजी संस्था की अवैध गतिविधियों को नजरअंदाज किया है. नागरिकों ने अब इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है. हाईकोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अगली सुनवाई 17 जुलाई के लिए तय की है.

बारिश में बही सोयाबीन फसल, सर्वे और मुआवजे की मांग

बैतूल। भीमपुर तहसील के ग्राम धामदेही में लगातार तीन दिनों की मूसलाधार बारिश से गाड़ाघाट नदी उफान पर आ गई। नदी का पानी खेतों में घुसने से दो दर्जन से अधिक किसानों की खड़ी सोयाबीन समेत खरीफ फसलें बह गईं। प्रभावित किसानों ने प्रशासन से तत्काल नुकसान का सर्वे कर राहत राशि और मुआवजा देने की मांग की है। भीमपुर क्षेत्र में अब तक 176 मिमी बारिश दर्ज की गई है। हालांकि धामदेही और आसपास के क्षेत्रों में इससे भी अधिक वर्षा होने के कारण गाड़ा घाट नदी में बाढ़ आ गई। तेज बहाव के चलते नदी का पानी खेतों में भर गया और कई किसानों की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। ग्राम धामदेही के किसान शंकर धुर्वे, मानसिंह धुर्वे सहित अन्य प्रभावित किसानों ने बताया कि सालभर की मेहनत कुछ ही घंटों में बाढ़ के पानी में बह गई। उनका कहना है कि हर साल बाढ़ से खेतों को नुकसान होता है, लेकिन आज तक इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। लगातार बारिश के कारण गाड़ा घाट नदी पर बनी पुलिया भी जलमग्न हो गई। इससे आशापुर-खंडवा मार्ग करीब दो दिनों तक बंद रहा। सड़क बंद होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा।

करोड़ की लागत से बनी सड़क दो साल में उखडी

पाथाखेड़ा। नगर पालिका परिषद सारनी के पाथाखेड़ा क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से निर्मित सड़क निर्माण कार्य अब गंभीर सवालों के घेरे में आ गया है। सिविल ऑफिस से सारनी एबी टाइप तक बनाई गई यह सड़क निर्माण के महज दो वर्षों के भीतर ही जगह-जगह से उखड़ने लगी है। सड़क की खस्ता हालत ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, तकनीकी निरीक्षण और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि सड़क निर्माण के दौरान भारी अनियमितताएं की गईं तथा इंजीनियर और ठेकेदार की

मिलीभगत के चलते घटिया सामग्री का उपयोग किया गया। प्रारंभ से ही निर्माण कार्य को लेकर शिकायतें सामने आती रहीं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया। अब स्थिति यह है कि सड़क कई स्थानों पर टूटकर गड्ढों में तब्दील होती दिखाई दे रही है, जिससे आम नागरिकों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद सड़क की गुणवत्ता इतनी कमजोर रही कि थोड़ी बारिश और नियमित आवागमन में ही उसकी परतें उखड़ने लगीं। कई स्थानों पर सड़क पर पैचवर्क और ठिग्गे लगाए गए हैं।

भाजपा कार्यालय में मासिक बैठक की गई आयोजित

मुलताई। नगर के भाजपा कार्यालय में रविवार सुबह 11 बजे से भारतीय जनता पार्टी की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। भाजपा मीडिया प्रभारी रामचरण मालवीय ने बताया सोमवार सुबह 11 भारतीय जनता पार्टी मुलताई मंडल की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की शुरुआत भारत माता, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष जगदीश पवार, नगर मंडल अध्यक्ष गणेश साहू, पूर्व नपा अध्यक्ष एवं नपा सभापति डॉ जी ए बारस्कर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिजिटल प्रशिक्षण के विधानसभा प्रभारी एवं नगर मंडल सह प्रभारी तुलसीराम बारस्कर, नपा सभापति महेंद्र जैन उपस्थित रहे।बैठक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिजिटल प्रशिक्षण विधानसभा प्रभारी तुलसीराम बारस्कर ने कहा की सभी कार्यकर्ताओ को डीजिटल प्रशिक्षण लेना आवश्यक है, जिसमे प्रशिक्षण लेकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। अभी डीजिटल प्रशिक्षण में मुलताई मंडल बेहतर रूप से कार्यकर्ता के मेहनत से आगे चल रहा है।

मोहनलाल धुर्वे पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष बने

बैतूल। संघे शक्ति कलियुगे के मूल मंत्र को साकार करते हुए मप्र पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष पद का निर्वाचन सम्पन्न हुआ। संगठन की एकता, अनुशासन और संप्रभुता का परिचय देते हुए सभी पटवारी साथियों ने सर्वसम्मति से मोहनलाल धुर्वे को निर्विरोध जिला अध्यक्ष निर्वाचित किया। निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन संभागीय अध्यक्ष नर्मदापुरम कन्हैया व्यास के मार्गदर्शन में निर्वाचन अधिकारी सुखराम सिरसाम द्वारा सम्पन्न कराया गया। इस अवसर पर संघ के संरक्षक एवं पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र पवार,वर्तमान कार्यकारी

जिलाध्यक्ष अवधेश वर्मा प्रांत टीम से केशव कांत कोसे एवं दिलीप करोचे सहित जिले की सभी तहसीलों के तहसील अध्यक्ष तथा जिले के लगभग चार सौ से अधिक पटवारी साथी उपस्थित रहे। इस मौके पर मोहनलाल धुर्वे ने कहा कि उनकी प्राथमिकता जिले के पटवारियों के वर्तमान के सभी ज्वलंत मुद्दों के प्रभावी समाधान पर रहेगी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि प्रत्येक पटवारी की समस्या को संगठन की समस्या मानते हुए उसका समाधान करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाएंगे।

अज्ञात मृतक का राष्ट्रीय हिंदू सेना ने किया अंतिम संस्कार

बैतूल। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए एक अज्ञात वृद्ध की उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। दो दिनों तक कोतवाली पुलिस, खेड़ी सांवलीगढ़ पुलिस एवं जिला अस्पताल पुलिस द्वारा मृतक की पहचान कराने के लगातार प्रयास किए गए, लेकिन कोई परिजन या परिचित सामने नहीं आया। इसके बाद राष्ट्रीय हिंदू सेना ने एक बार फिर मानवता का परिचय देते हुए मां माचना मोक्ष धाम में पूरे हिंदू रीति-रिवाज के साथ मृतक का सम्मानजनक अंतिम संस्कार कराया। जानकारी के अनुसार 3 जुलाई की रात्रि 3ः54 बजे 108

एंबुलेंस द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल एक अज्ञात व्यक्ति को नेशनल हाईवे से जिला अस्पताल बैतूल लाया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए आईसीयू में भर्ती किया गया। उपचार के दौरान 4 जुलाई की सुबह 5ः55 बजे उसकी मृत्यु हो गई। जिला अस्पताल चौकी प्रभारी एएसआई जयपाल सिंह रघुवंशी ने बताया कि 4 जुलाई को उनकी मौजूदगी में मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक की आयु लगभग 65 वर्ष, लंबाई लगभग 5 फीट तथा दाढ़ी बड़ी हुई थी। दो दिनों तक कोतवाली पुलिस, खेड़ी सांवलीगढ़ पुलिस एवं जिला अस्पताल पुलिस ने मृतक की शिनाख्त के लिए हरसंभव प्रयास किए, लेकिन कोई भी परिजन या पहचानकर्ता सामने नहीं आया। इसके बाद राष्ट्रीय हिंदू सेना ने मां माचना मोक्ष धाम में हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार उसका अंतिम संस्कार कराया गया। जिला अस्पताल से मोक्ष धाम तक माझी एंबुलेंस संचालक दुर्गेश किरोदे की एंबुलेंस के सहयोग से शव को लाया गया। राष्ट्रीय हिंदू सेना के प्रदेश अध्यक्ष दीपक मालवीय ने कहा कि संगठन लंबे समय से अज्ञात मृतकों का अंतिम संस्कार का कार्य कर रहा है।

मामला EOW को सौंपा, फिलहाल 2 पर दर्ज हुई FIR

वेतन भुगतान घोटालेबाजों पर कसी जा रही नकेल

नागपुर. महानगर पालिका के लकडगंज जोन अंतर्गत फर्जी एवजदारों के नाम शामिल कर किए गए वित्तिय घोटाले की पर्ते अब खुलने लगी है. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्राथमिक स्तर पर बनाई गई एक सदस्यीय जांच समिति की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर आयुक्त ने इन घोटालेबाजों पर नकेल कसने का पूरा इंतजाम कर लिया है.

भ्रष्टाचार का खुलासा होते ही आयुक्त के आदेशों के अनुसार पूरा मामला जांच के लिए अब ईओडब्ल्यू पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को सौंपा गया है. इसी के साथ प्राथमिक स्तर पर एक महिला और एक पुरूष कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर निलंबित भी किया गया है. भले ही फिलहाल 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ हो, लेकिन जांच के लिए अब मामला आर्थिक अपराध विभाग को सौंपे जाने से खलबली मची हुई है.

बड़ी मछलियों को बचाने का प्रयास

मनपा प्रशासन की ओर से भले ही कड़ा रूख अपनाते हुए मामला ईओडब्ल्यू को सौंपा हो, इसके बावजूद इसमें केवल छोटी मछलियों को जाल में फंसाकर बड़ी मछलियों को बचाने की कवायद होने के आरोप भी लग रहे हैं. जानकारों का मानना है कि यदि मनपा में वेतन भुगतान की पूरी प्रक्रिया देखी जाए, तो इसमें किसी बड़े अधिकारी और वेतन से संबंधित सभी विभागों के शामिल होने से इंकार नहीं किया जा सकता है. यहीं कारण है कि केवल कमजोर कड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का जाल बुनकर कुछ कार्रवाई होने का दिखावा हो रहा है. बहरहाल अब ईओडब्ल्यू के पास मामला होने से जल्द ही नए खुलासे होने के भी आसार जताए जा रहे है.

राजनीतिक दल से भी संबंध

जानकारों की माने तो वेतन भुगतान घोटाले को 2 माह पूर्व उजागर किया गया था. किंतु जांच के नाम पर 2 माह तक मनपा की ओर से जांच की गई. जिसके बाद ही पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई. बताया जाता है कि इस मामले में कथित आरोपियों के राजनीतिक संबंधों के चलते ही कोताही बरती जा रही है. चूंकि मामला लकडगंज जोन से संबंधित होने के कारण भी प्रशासन पर दबाव होने की आशंका जताई जा रही है. अन्य विभागों के अधिकारियों की माने तो इन कथित आरोपियों की ओर से घोटाला किए जाने के बाद इसकी सूची बैंक से मांगी गई थी. जबकि इसकी सूची अन्य विभाग में भी होना चाहिए था. इसके बावजूद बैंक से सूची क्यों मांगी गई, यहीं सोच से परे होने की आशंका जताई गई.

नेहरूनगर जोन में भी घूम रही घोटाले की सुई

सूत्रों के अनुसार हाल ही में मनपा आयुक्त की ओर से नेहरूनगर जोन में बैठक ली गई. जिसमें पक्ष और विपक्ष के तमाम नगरसेवकों का मानना था कि यहां पर 425 से अधिक सफाई कर्मचारी कार्यरत है. कागजों पर भले ही इतनी संख्या हो, लेकिन वास्तविक रूप में इतने कर्मचारी काम करते दिखाई नहीं देते हैं. इसी तरह से कुछ दिनों पहले एक नगरसेवक ने गांधीबाग जोन में सफाई कर्मचारी के नाम पर अन्य व्यक्तियों द्वारा काम किए जाने की सूची ही प्रशासन को सौंपी गई थी.

पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टेट से छूट देने की मांग

बैतूल। संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले वर्ष 2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग को लेकर बैतूल जिले के शिक्षा विभाग के विभिन्न शिक्षक संगठनों ने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले एकजुट होकर आवाज बुलंद की। रविवार 5 जुलाई को संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने अनुसूचित जनजाति केंद्रीय राज्य मंत्री डी.डी. उइके के गृह निवास पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपा और केंद्र सरकार से इस संबंध में नया अध्यादेश पारित कराने का आग्रह किया। ज्ञापन में मांग की गई कि वर्ष 2010 के पूर्व से नियुक्त शिक्षकों को टेट परीक्षा की बाध्यता से मुक्त किया जाए तथा संसद के आगामी मानसून सत्र में इस संबंध में नया अध्यादेश लाकर लंबे समय से लंबित मांग का

समाधान किया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाना आवश्यक है। संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल में मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सचिन राय, भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष पंजाब गायकवाड, आदर्श शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र कटारे, ट्राईबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष प्रवीण नरवरे, पुरानी पेंशन बहाली के जिला अध्यक्ष रवि सरनेकर, राज्य अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष भीमराव धोटे, आजाद अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष विनय सिंह राठौड़, मुकेश उपराले, योग शिक्षक रंजीत धुर्वे सहित अन्य शिक्षकगण उपस्थित रहे।